कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक – 3436 दिनांक– 22/9/26

.– कार्यालय आदेश –

(रिमाण्ड कार्य/धारा 196 बीएनएसएस (176द.प्र.सं.) ड्यूटी अक्टूबर–नवम्बर, 2026)

मैं, अंकिता सिंघल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) (धारा 15(2) द.प्र.सं.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि निम्नलिखित तालिका के कॉलम नं. 02 में अंकित माह **अक्टूबर–नवम्बर, 2026** के राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर महानगर–द्वितीय की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, धारा 183 बीएनएसएस (धारा 164 द.प्र.सं.) के बयान, मृत्युकालिक कथन, धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) कॉलम सं. 03 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम नं. 04 में अंकित है, करेंगे :–

क.सं.	दिनांक अवकाश	न्यायालय का नाम	नाम अधिकारी/मोबाईल न. (श्री/श्रीमती/सुश्री)
(1)	(2)	(3)	(4)
अक्टूबर, 2026			
1	02/10/2026	स्पे.जे.एम. (NI Act) क्रम–05, जयपुर महानगर–II	तेजकिरण कौर, 9041390999
2	04/10/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–02, जयपुर महानगर–II	दामिनी प्रेम चेरवाल, 8209546257
3	10/10/2026	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–09, जयपुर महानगर–II	रिद्म अनेजा, 7508676900
4	11/10/2026	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–03, जयपुर महानगर–II	पूजा मीणा, 8302601080
5	18/10/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), जयपुर महानगर–II	अदिति फगेरिया, 7597805250
6	19/10/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–21, जयपुर महानगर–II	मेघा जैन, 7014840838
7	20/10/2026	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–04, जयपुर महानगर–II	पायल अग्रवाल, 8824275651
8	21/10/2026	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–07, जयपुर महानगर–II	इशिका चौधरी, 9413252737
9	22/10/2026	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–14, जयपुर महानगर–II	आकांशा सैनी, 9887195438
10	23/10/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–22, जयपुर महानगर–II	पंकज कुमार यादव, 9694488661
11	24/10/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–20, जयपुर महानगर–II	मनीषा शर्मा, 7891269953
12	25/10/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम), जयपुर महानगर–II	प्रियंका मीणा, 7727873999
नवम्बर, 2026			
13	01/11/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–11, जयपुर महानगर–II	दीक्षा गुप्ता, 7877321610
14	07/11/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–01, जयपुर महानगर–II	कृति शेखावत, 7228977402
15	08/11/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–05, जयपुर महानगर–II	एषा शर्मा, 7734002300
16	09/11/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–07, जयपुर महानगर–II	लीमा यादव, 8128112838
17	10/11/2026	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–06, जयपुर महानगर–II	विक्रम ठोलिया, 7032523820
18	11/11/2026	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–12, जयपुर महानगर–II	प्रियंक राव, 7011516621
19	12/11/2026	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–02, जयपुर महानगर–II	वत्सल चौधरी, 9461527707
20	13/11/2026	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–13, जयपुर महानगर–II	ममता कुमारी, 8503860921
21	14/11/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–19, जयपुर महानगर–II	भरत यादव, 7689059192
22	15/11/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–03, जयपुर महानगर–II	विभव कृष्ण, 7300159331
23	22/11/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–06, जयपुर महानगर–II	अंजलि जानू, 9772085497
24	24/11/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–25, जयपुर महानगर–II	अंकित यादव, 6350481044
25	29/11/2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–04, जयपुर महानगर–II	शैली आचार्य, 9887768414

नोट–(1) माह **अक्टूबर–नवम्बर, 2026** में उपरोक्तानुसार ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी भी अधिकारी के अत्यावश्यक कारणों से अवकाश पर रहने पर/स्थानांतरण होने से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने पर/आकस्मिक रूप से अवकाश घोषित होने पर आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, धारा 183 बीएनएसएस (धारा 164 द.प्र.सं.)

Ankita 22/9/2026

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर द्वितीय

के बयान, मृत्युकालिक कथन, धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.)के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) की **रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी** हेतु निम्न अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है।

क्र.सं.	दिनांक/अवधि	न्यायालय का नाम	नाम अधिकारी/मोबाईल न. (श्री/श्रीमती/सुश्री)
1	01.10.2026 से 08.10.2026 तक	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–08, जयपुर महानगर–II	विभा शर्मा, 9079358792
2	09.10.2026 से 16.10.2026 तक	ए.सी.जे.एम. क्रम–02, जयपुर महानगर–II	कंचन सिंह राजावत, 9214438897
3	17.10.2026 से 21.10.2026 तक	ए.सी.जे.एम. क्रम–04, जयपुर महानगर–II	उषा प्रजापत, 8233429420
4	22.10.2026 से 25.10.2026 तक	ए.सी.जे.एम. (सा.द.प्र.), जयपुर महानगर–II	उपासना कांवट, 8826845544
5	26.10.2026 से 31.10.2026 तक	ए.सी.जे.एम. क्रम–01, जयपुर महानगर–II	प्रतिभा मोट्यार, 9680032564
6	01.11.2026 से 06.11.2026 तक	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–09, जयपुर महानगर–II	रश्मि दाधीच, 6377396252
7	07.11.2026 से 11.11.2026 तक	स्पे.जे.एम.(NI Act) क्रम–11, जयपुर महानगर–II	आकाश तक्षक, 8739913838
8	12.11.2026 से 15.11.2026 तक	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–14, जयपुर महानगर–II	आयुषी गोयल, 9461623322
9	16.11.2026 से 23.11.2026 तक	ए.सी.जे.एम. क्रम–05, जयपुर महानगर–II	प्रिया यादव, 9599204591
10	24.11.2026 से 30.11.2026 तक	ए.सी.जे.एम. क्रम–03, जयपुर महानगर–II	बबीता सैनी, 9460545898

नोट–(2) नोट सं.1 द्वारा रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में उस अधिकारी के आगामी क्रम पर अंकित अधिकारी उपरोक्त ड्यूटी कार्य सम्पादित करेंगे तथा अंतिम क्रम पर अंकित अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में क्रम 1 पर अंकित अधिकारी व उसके उपरांत पश्चातवर्ती अधिकारीगण के द्वारा इसी चक्रानुसार आवश्यक फौजदारी कार्यों को सम्पादित किया जावेगा।

नोट–(3) उक्त अवधि में आने वाले अवकाशों के दिन न्यायालय में बैठने का **समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक** रहेगा। अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का स्थान व अन्य व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी। कॉलम सं. 4 में अंकित पीठासीन अधिकारी के द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में वे अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित कर स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। **कार्य दिवसों के दौरान धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य निष्पादन किये जाने बाबत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश होने पर तत्समय ही न्यायिक अधिकारी को अधिकृत किया जावेगा।**

नोट–(4) राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य (रिमाण्ड ड्यूटी) हेतु अधिकृत अधिकारी के न्यायालय में बैठने के समय सहित उक्त ड्यूटी दिनांक को शेष समय एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक उक्त आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा। परंतु कार्यदिवस के दिन कार्यालय समय पश्चात आवश्यक फौजदारी कार्य थाने से संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा व उसके उपलब्ध नहीं होने पर लिंक अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

नोट–(5) **अवकाश एवं कार्य दिवसों के दौरान न्यायालय बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान ही मुलजिमान को न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किया जावे। मुलजिम को न्यायालय में निर्धारित समय में पेश नहीं कर न्यायिक अधिकारी के निवास पर पेश करने पर संबंधित पुलिस कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुलजिम को संबंधित अधिकारी के निवास पर पेश किया जावेगा।** न्यायिक अधिकारी के निवास पर पेश करते समय मुलजिम को सीधे निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

22/9/2026

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर द्वितीय

नोट–(6) माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय के आदेश क्रमांक स्था0/2021/1603 दिनांक 07.04.2021 की अनुपालना में रिमाण्ड न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय के अधिकतम एक लिपिक ग्रेड–II एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जावे, यदि रिमाण्ड ड्यूटी के समय कार्य की अधिकता रहती है तथा उपरोक्त एक लिपिक ग्रेड–II व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सुचारू रूप से कार्य सम्पादन नहीं हो रहा हो तो पीठासीन अधिकारी रीडर अथवा आशुलिपिक में से किसी एक को अथवा दोनों को कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सकेंगे एवं कर्मचारीगण को ड्यूटी की ऐवज में नियमानुसार सी.सी.एल. देय होगी।

नोट–(7) किसी कार्य दिवस में आधा दिवस अवकाश पर रहने वाले अधिकारी को ही उस दिन धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत प्राप्त जांच कार्य सुपुर्द किया जाना माना जायेगा। उक्त आधे दिवस अवकाश की अवधि में केवल अत्यावश्यक कार्य ही आगामी क्रम में अंकित न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा। शेष जांच एवं अन्य मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य मूल रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा ही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

नोट–(8) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जयपुर महानगर–द्वितीय की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधिनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।

Ankita 22/9/2026

(अंकिता सिंघल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–द्वितीय

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक – दिनांक –

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–द्वितीय
2. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
3. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–द्वितीय
4. श्रीमान आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर महानगर,
5. पुलिस उपायुक्त पश्चिम/उत्तर/मुख्यालय/यातायात, जयपुर महानगर
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज), जयपुर महानगर–द्वितीय
7. उप निदेशक, अभियोजन द्वितीय, जयपुर
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलेक्ट्रेट/चौमू/आमेर/बगरू, जयपुर
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु
10. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह/जिला कारागृह/महिला कारागृह, जयपुर
11. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली
12. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ई–मेल/मैसेज द्वारा सूचित करें तथा आदेश को जिला न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
13. वरिष्ठ मुंसरिम, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय

Ankita 22/9/2026

(अंकिता सिंघल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–द्वितीय

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर द्वितीय